UGC CARE LISTED JOURNAL ISNN: 2321-0443

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-80

अक्टूबर-दिसम्बर-2023

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

UGC CARE LISTED JOURNAL **ISSN: 2321-0443**

ज्ञान गरिमा सिंधु

(त्रैमासिक पत्रिका)

अंक-80

अक्टूबर-दिसम्बर-2023

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY

MINISTRY OF EDUCATION

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

GOVERNMENT OF INDIA

'ज्ञान गरिमा सिंधु' मानविकी और सामाजिक विज्ञान की एक त्रैमासिक पत्रिका है। पत्रिका का उद्देश्य हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालयी एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए मानविकी और सामाजिक विज्ञान संबंधी उपयोगी एवं अद्यतन पाठ्य पुस्तकीय तथा संपूरक साहित्य की प्रस्तुति है। इसमें वैज्ञानिक लेख, शोध-लेख, तकनीकी निबंध, शब्द-संग्रह, शब्दावली- चर्चा, पुस्तक समीक्षा आदि का समावेश होता है।

लेखकों के लिए निर्देश:

- लेख की सामग्री मौलिक, अप्रकाशित तथा प्रामाणिक होनी चाहिए।
- लेख का विषय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विषयों से संबंधित होना चाहिए।
- लेख सरल हों जिसे विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के छात्र आसानी से समझ सकें।
- लेख लगभग 2000 से 3000 शब्दों का हो।

प्रकाशन हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट http://cstt.education.gov.in/en पर उपलब्ध है।

पत्रिका का शुल्क:	**भारतीय मुद्रा**	**विदेशी मुद्रा**
सामान्य ग्राहकों/संस्थाओं के लिए प्रति अंक	**Rs 14.00**	**पौंड 1.64 डॉलर 4.84**
वार्षिक चन्दा	**Rs 50.00**	**पौंड 5.83 डॉलर 18.00**
विद्यार्थियों के लिए प्रति अंक	**Rs 8.00**	**पौंड 0.93 डॉलर 10.80**
वार्षिक चन्दा	**Rs 30.00**	**पौंड 3.50 डॉलर 2.88**

वेबसाइट : www.cstt.education.gov.in
कॉपीराइट : ©2022
प्रकाशक :
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार,
पश्चिमी खंड -7 रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली - 110066

बिक्री हेतु पत्र-व्यवहार का पता :
प्रभारी अधिकारी, बिक्री एकक
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग,
पश्चिमी खंड -7, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
टेलीफोन - (011) 20867172
फैक्स - (011) 26105211/246

बिक्री स्थान :
प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग
भारत सरकार,
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054

पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इनसे संपादक मंडल की सहमति आवश्यक नहीं है।

अध्यक्ष की कलम से...

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी, उच्चतर शिक्षा एवं मानविकी आदि से संबद्ध क्षेत्रों में तैयार की गई शब्दावली का समुचित प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु `ज्ञान गरिमा सिंधु ′पत्रिका का प्रकाशन करता आया है। आयोग द्वारा समय-समय पर इस पत्रिका के कुछ विषय-केंद्रित विशेषांकों का प्रकाशन किया जाता रहा है। इसी श्रृंखला में पत्रिका के अंक- 80 (अक्टूबर-दिसम्बर, 2023) को अपने सुधी पाठकों एवं लेखकों को उपलब्ध कराते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। प्रस्तुत अंक में भी सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों से संबंधित लेखों को सम्मिलित किया गया है।

बहुविषयक प्रकृति वाले इस अंक में एक ओर जहाँ भारतीय ज्ञान परम्परा से संबंधित विविध लेखों यथा संस्कृत साहित्य और विशेष रूप से *ऋग्वेद में स्त्रियों की दशा और दिशा, भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना, लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत* को स्थान दिया गया है तो वही *राज्यपाल के पद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य, पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के विविध आयाम*, आदि राजनीति विज्ञान परक लेखों को भी चयनित किया गया है। *सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण और उसका प्रभाव, तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य* जैसे शिक्षा परक लेखों के साथ *केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन* आदि जनजातीय अध्ययन से संबंधित लेख भी उल्लेखनीय हैं।

पत्र-पत्रिकाएँ न केवल संस्था-विशेष के ज्ञान एवं वैशिष्ट्य का परिचायक होती हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग क्षेत्रों में हो रहे महत्वपूर्ण नीति-निर्माण, अनुसंधानों तथा शोध-कार्यों का एक समेकित व जनोपयोगी सार्थक मंच भी प्रस्तुत करती हैं।`ज्ञान गरिमा सिंधु ′का उद्देश्य मूलतः हिंदी में मानविकी व सामाजिक विज्ञान विषयक लेखन को प्रचारित-प्रसारित करना है, जिसका कार्यान्वयन व अनुपालन पत्रिका अपने प्रत्येक अंक में करती रही है। पत्रिका का यह अंक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण व संग्रहणीय है। देश भर से विभिन्न विषयों पर चिंतन-मनन करने वाले विभिन्न मनीषियों के विविध-विषयक सारगर्भित आलेख प्रस्तुत अंक में संकलित हैं।

यह महत्वपूर्ण अंक आपको समर्पित करते हुए मैं देश के प्रतिनिधि विश्वविद्यालयों, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं अन्य संस्थानों के अध्यापकों, वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से अपेक्षा करता हूँ कि वे आयोग के विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग से तैयार की गई प्रामाणिक व मानक शब्दावली के अधिकाधिक प्रयोग के माध्यम से इसे सर्वजन-सुलभ बनाने में अपना सार्थक योगदान दें। साथ ही मैं विद्वानों, शोधार्थियों, अन्य लेखकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वे इस पत्रिका के लिए आलेख लिखें। आयोग की शब्दावलियाँ https://shabd.education.gov.in/ पर खोज प्रक्रिया में उपलब्ध हैं। जहाँ से आयोग द्वारा निर्मित आधिकारिक शब्दावली को प्राप्त करके आलेख लिखे जा सकते हैं।

प्राप्त आलेखों को सम्पादित कर प्रकाशन योग्य तैयार करने का उत्तरदायित्व डॉ.शाहजाद अहमद अंसारी ने बड़े मनोयोग से निभाया है। मैं इस पत्रिका के परामर्श एवं संपादन-समिति के प्रत्येक विशेषज्ञ तथा संपादक डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस अंक के लेखकों को भी साधुवाद देता हूँ। सुधी पाठकों के अमूल्य सुझावों एवं सहयोग की प्रतीक्षा रहेगी।

प्रो. गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

सम्पादकीय

`ज्ञान गरिमा सिंधु 'का 80 वाँ अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यह अंक स्वयं में विशिष्ट है। प्रस्तुत अंक में सामाजिक विज्ञान व मानविकी के विविध पक्षों से संबंधित आलेखों को समाहित किया गया है।

प्रस्तुत अंक में संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान, महिला सशक्तीकरण की दिशा में- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, भारत में लैंगिक संवेदीकरण, भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था, भारत का अमृत काल: प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण 'संकल्प पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रम, सामाजिक लोकतंत्र के साधन के रूप में भारतीय संविधान, आदि राजनीति विज्ञान परक लेखों के साथ-साथ असम के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों पर एक अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ऑनलाइन एवं दूरस्थ माध्यम से समतामूलक समावेशी उच्च शिक्षा आदि शिक्षापरक लेखों को भी स्थान दिया गया है। भारत में जनजाति विकास: सिद्दी समुदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में, तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य, प्रेमचन्द और गाँधीवादी दर्शन, वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य, भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना, आदि लेख भी अत्यन्त उल्लेखनीय हैं। स्वयं- एम. ओ. ओ. सी. (मूक) का योगदान, केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन, भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास, 1857 एवं दशनामी सन्यासी, ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति, आदि लेख भी विशेष रूप से पठनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार एवं उनके द्वारा 'ज्ञान गरिमा सिन्धु 'के इस अंक हेतु प्राप्त आलेखों के मूल्यांकन, संयोजन एवं सम्पादन का अवसर मिला। यद्यपि अत्यल्प समय में इसके मूल्यांकन व सम्पादन का कार्य वास्तव में कठिन था, तथापि नित्य-प्रति के प्रयासों और विशेषज्ञ-समिति के सहयोग से आलेखों का मूल्यांकन, सम्पादन एवं प्रूफ-शोधन प्रारंभ हुआ। प्राप्त कुल साठ से अधिक आलेखों में से सम्पादित एवं चयनित कर इस अंक हेतु इकत्तीस आलेखों को स्थान दिया गया है, जिसे क्रमवार प्रस्तुत किया गया है ताकि विषय की समेकित समझ बन सके।

मैं सभी लेखकों एवं परामर्श- संपादन समिति के सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञ हूँ, जिनके मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से यह कार्य नियत समय पर निष्पादित हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत अंक पाठकों के लिए लाभदायक एवं उपयोगी सिद्ध होगा। विद्वत समाज और सुधी पाठकों के सुझाव की प्रतीक्षा रहेगी।

डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी
सहायक निदेशक (विषय),
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

परामर्श मंडल

प्रो. रजनीश शुक्ल अध्यक्ष

कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो. नागेश्वर राव सदस्य

निदेशक, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
राष्ट्रपति निवास, शिमला-171005

प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी सदस्य

कुलपति, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो.राजेश्वरी पंढरीपांडे सदस्य

सेवानिवृत्त प्रो.अरबाना इलिनोइस विश्वविद्यालय शैम्पेन, यूएसए

प्रो. धनंजय कुमार सिंह सदस्य

सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली -110067

प्रो. सच्चिदानंद मिश्र सदस्य

सदस्य-सचिव, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली - 110 062

प्रो (डॉ.) रवि प्रकाश टेकचंदानी सदस्य

निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रचार परिषद, दिल्ली – 110066

डॉ. मिथिलेश मिश्र सदस्य

निदेशक,दक्षिण एशियाई भाषा समन्वयक
अरबाना - केंपेन इलिनोइस विश्वविद्यालय
अरबाना, आईएल 6180

प्रो. अनिल जोशी सदस्य

अध्यक्ष, केंद्रीय हिंदी संसथान, आगरा

परामर्श एवं सम्पादन मंडल

प्रधान सम्पादक
प्रोफेसर गिरीश नाथ झा
अध्यक्ष

सम्पादक
डॉ. शाहजाद अहमद अंसारी,
सहायक निदेशक (विषय)

सम्पादन समिति

प्रो. पवन कुमार शर्मा
राजनीति विज्ञान विभाग,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ. प्र.)

प्रो. राजेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्राचार्य, देशबंधु महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रवीण कुमार झा
शहीद भगत सिंह महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. शांतेष कुमार सिंह
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, संगठन और कूटनीति अध्ययन केंद्र,
अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. प्रवीण कुमार तिवारी
शिक्षा विभाग (केन्द्रीय शिक्षा संस्थान),
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

प्रो. गौरव सिंह
केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली

प्रूफ़ शोधन
शाईस्ता
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग,
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	आलेख शीर्षक	लेखक	पृ. सं.
1.	*संस्कृत साहित्य मे स्त्रियों की दशा और दिशा: ऋग्वेद के विशेष संदर्भ में*	पवन कुमार शर्मा	1-8
2.	*राज्यपाल के पद का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य*	प्रवीण कुमार झा, संगीता	9-19
3.	*संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान*	दिनेश कुमार गहलोत	20-30
4.	*भारत में सयुंक्त परिवार व्यवस्था: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन*	बालू दान बारहठ	31-40
5.	*प्रेमचन्द और गाँधीवादी दर्शन*	जी. शान्ति	41-49
6.	*महिला सशक्तीकरण की दिशा में- नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023*	समीक्षा चंद्राकर, रानू अग्रवाल	50-56
7.	*भगवद्गीता में वर्णित न्याय की संकल्पना: वर्तमान के सामाजिक न्याय की दृष्टि से*	मानसी त्यागी, रजत कोहली	57-63
8.	*पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम का वर्तमान परिप्रेक्ष्य*	धनंजय यादव	64-73
9.	*जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक संघर्ष के विविध आयाम*	विवेक मिश्र	74-82
10.	*सभी के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना: स्वयं-एम. ओ. ओ. सी. (मूक) का योगदान*	रश्मि चौहान	83-93
11.	*भारत: लोकतंत्र की जननी*	विकास मिश्र	94-103
12.	*केरल के किन्नरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन*	सनोज पी. आर.	104-108
13.	*भरतनाट्यशास्त्र के लिए सूचना प्रणाली का विकास*	कीर्ति देवांशी त्रिपाठी, आरूषि निगम, सुचित्रा भारती, अवधेश प्रताप सिंह,	109-115

		सुभाष चन्द्र	
14.	*1857 एवं दशनामी सन्यासी*	काव्या	116-122
15.	*तकनीकी केन्द्रित शिक्षा ही है देश का भविष्य!!!*	गौरव सिंह	123-129
16.	*भारत का अमृत काल: प्रधानमंत्री के 'पंच प्रण' संकल्प पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन*	सागर जोशी, एम. एम. सेमवाल	130-136
17.	*ईरान की हाइब्रिड युद्ध नीति*	प्रकाश जांगिड़	137-143
18.	*भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में नरेन्द्र मोदी सरकार की शासकीय नीति एवं कार्यक्रम: एक अवलोकन*	अशोक कुमार	144-157
19.	*सामाजिक लोकतंत्र के साधन के रूप में भारतीय संविधान*	सरोज कुमार, बालू दान बारहठ	158-164
20.	*भारत में उच्च शिक्षा पर नई शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण और उसका प्रभाव*	मो. वसीम अख्तर, मो. शाकिर अली, मुजफ्फर इस्लाम	165-176
21.	*वैश्विक आतंकवाद का समकालीन परिप्रेक्ष्य*	राजेन्द्र कुमार पाण्डेय	177-187
22.	*असम के परिप्रेक्ष्य में स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक लेखन से संबंधित मुद्दों पर एक अध्ययन*	प्रतीक्षा कश्यप शर्मा, मोहम्मद असिफ, यास्मीन सुल्ताना	188-212
23.	*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में ऑनलाइन एवं दूरस्थ माध्यम से समतामूलक समावेशी उच्च शिक्षा: संभावनाएं एवं चुनौतियाँ*	अखिलेश कुमार, कृष्ण कान्त त्रिपाठी, रजनी रंजन सिंह	213-218
24.	*सर्वोदय – अंत्योदय की संकल्पना सर्वसमावेशी विकसित भारत का आधार*	मंगल देव, शंभु नाथ दुबे	219-232
25.	*शीतयुध्द के बाद भारत-अमरीका सम्बन्धों का अध्ययन*	वैष्णवी जौहरी, अनुपमा सिंह	233-243
26.	*उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति के विकास के संदर्भ में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई प्रमुख नीतियों व व्यवस्थाओं का विवेचनात्मक अध्ययन*	दीपाली गुप्ता, प्रवीण कुमार तिवारी	244-253

27.	***भारत में जनजाति विकास: सिद्दी समुदाय के विशेष परिप्रेक्ष्य में***	**मनीष कर्मवार, स्मिता**	**254-260**
28.	***विश्व मानवाधिकार दिवस: भारतीय परिपेक्ष***	**गणेश मल्होत्रा**	**261-266**
29.	***हरित शासन सुनिश्चित करने में मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की भूमिका***	**मो मुकर्रम बदर खान, शमीना खान, शकूर बशीर**	**267-275**
30.	***बिहार में मद्यनिषेध का सामाजिक प्रभाव: पूर्वी चंपारण जिले के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन***	**आशुतोष शरण, सुनील महावर**	**276-290**
31.	***भारत में लैंगिक संवेदीकरण: भारतीय संविधान की भूमिका***	**भानु प्रताप सिंह, चेतना चौधरी, भरत प्रताप सिंह**	**291-302**

अध्याय-31

भारत में लैंगिक संवेदीकरण: भारतीय संविधान की भूमिका

भानु प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, आई०एल०एस०आर०, जी०एल०ए० विश्वविद्यालय, मथुरा

चेतना चौधरी शोध छात्रा, एस०एम०पी० राजकीय महिला महाविद्यालय, मेरठ

भरत प्रताप सिंह सहायक आचार्य, एस०डी०जी०आई० ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाज़ियाबाद

भारत, एक विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र, लिंग संबंधी असंख्य चुनौतियों से जूझ रहा है जिनकी पिछले कुछ ३०० साल की गहरी ऐतिहासिक जड़ें और समकालीन निहितार्थ हैं। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, लैंगिक असमानता व्यापक बनी हुई है, जो देश भर में लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर रही है। केंद्रीय मुद्दों में से एक लिंग-आधारित हिंसा की व्यापकता है, जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज से संबंधित हिंसा जैसी प्रथाएं शामिल हैं। इन चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से विधायी उपायों के बावजूद, कानूनी ढांचे और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। यह अंतर अक्सर दंड से मुक्ति की संस्कृति को कायम रखता है, जहां कई अपराधी जवाबदेही से बच जाते हैं।[xix] इसके अलावा, शिक्षा में लैंगिक असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। जबकि समग्र साक्षरता दर में सुधार करने में सराहनीय प्रगति हुई है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अंतर अभी भी मौजूद है। कार्यबल में आर्थिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व भी लैंगिक असंतुलन को दर्शाता है। महिलाओं को समान अवसरों, उचित मजदूरी और कैरियर की उन्नति तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक देखभाल करने वालों के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी अपेक्षाएं कुछ व्यवसायों में उनके कम प्रतिनिधित्व में योगदान करती हैं। भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना लैंगिक मानदंडों को मजबूत करती है जो महिलाओं की स्वायत्तता और निर्णय लेने की क्षमताओं को सीमित करती है। पारंपरिक प्रथाएँ, जैसे कि जल्दी विवाह और कन्या भ्रूण हत्या, कुछ क्षेत्रों में बनी हुई हैं, जो महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, बदलाव के लिए जागरूकता और गति बढ़ रही है। जमीनी स्तर के आंदोलनों, वकालत और कानूनी सुधारों ने सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में योगदान दिया है। महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई पहल धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। संक्षेप में, भारत में लैंगिक मुद्दे जटिल और बहुआयामी हैं, जिनकी जड़ें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक कारकों में निहित हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कानूनी सुधारों, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

लैंगिक संवेदनशीलता जागरूकता को बढ़ावा देकर, रूढ़ियों को चुनौती देकर और लैंगिक असमानता को कायम रखने वाले गहरे पूर्वाग्रहों को दूर करके एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में एक ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जहाँ व्यक्ति, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, समान अधिकारों,

अवसरों और सम्मान का आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले, लिंग के आधार पर व्यक्तियों की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में रूढ़ियों और पूर्वकल्पित धारणाओं को खत्म करने के लिए लिंग संवेदीकरण महत्वपूर्ण है। इन रूढ़ियों को चुनौती देकर, समाज अपेक्षाओं को सीमित करने से मुक्त हो सकता है और अपने सभी सदस्यों की विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को पहचान सकता है। यह न केवल व्यक्तियों को अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाता है, बल्कि एक अधिक गतिशील और अभिनव समाज में भी योगदान देता है जो विविधता को महत्व देता है। दूसरा, लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव के मूल कारणों को संबोधित करने में लिंग संवेदीकरण महत्वपूर्ण है। सहमति, समानता और सम्मान की समझ को बढ़ावा देकर, समाज घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और लिंग-आधारित अपराधों जैसी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने की दिशा में काम कर सकता है।[xx] यह सुरक्षित स्थान बनाने में योगदान देता है जहां हर कोई अपने लिंग की परवाह किए बिना सुरक्षित और संरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा, एक लिंग-संवेदनशील समाज शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को बढ़ावा देता है। शिक्षा तक पहुंच को सीमित करने और कैरियर की उन्नति में बाधा डालने वाले पूर्वाग्रहों को चुनौती देकर, लिंग संवेदीकरण एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है जहां व्यक्तियों को उनके लिंग के बजाय उनकी क्षमताओं के आधार पर आंका जाता है। यह अधिक कुशल और उत्पादक कार्यबल की ओर ले जाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, समावेशी संस्थानों और नीतियों के निर्माण के लिए लैंगिक संवेदनशीलता आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून और विनियम विभिन्न लिंगों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं, एक कानूनी ढांचा बनाते हैं जो समानता को बढ़ावा देता है। समावेशी नीतियां बेहतर शासन और सामाजिक सामंजस्य में भी योगदान देती हैं, क्योंकि वे पूरी आबादी की विविध जरूरतों और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती हैं। एक ऐसे समाज को विकसित करने के लिए लैंगिक संवेदनशीलता अपरिहार्य है जो विविधता को महत्व देता है, समानता को बढ़ावा देता है और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। रूढ़िवादिता को चुनौती देकर, हिंसा को संबोधित करके और समावेशिता को बढ़ावा देकर, लिंग संवेदनशीलता एक ऐसे समाज का मार्ग प्रशस्त करती है जहां व्यक्ति फल-फूल सकते हैं, सार्थक योगदान दे सकते हैं और सामूहिक रूप से अधिक न्यायसंगत और सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।[xxi]

भारतीय संविधान में कई प्रमुख प्रावधान शामिल हैं जो लिंग संवेदीकरण के लिए आधार बनाते हैं, जिसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।[xxii] ये प्रावधान एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिए संविधान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं जो समावेशी हो और लिंग की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता हो। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता[xxiii] के मौलिक अधिकार को स्थापित करता है। यह गैर-भेदभाव की नींव रखता है, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके गैर-भेदभाव के सिद्धांत को और मजबूत करता है।[xxiv] इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को ऐतिहासिक और सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को पहचानते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।[xxv] अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह प्रावधान सरकारी सेवाओं में लैंगिक समावेश को बढ़ावा

देते हुए रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर पैदा करने की दिशा में काम करता है।[xxvi] संविधान के भाग IV में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भी लैंगिक संवेदीकरण में योगदान करते हैं। अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने, महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने और काम की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने में राज्य की भूमिका पर जोर देते हैं।[xxvii] सामूहिक रूप से, ये संवैधानिक प्रावधान लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक ठोस ढांचा प्रदान करते हैं, जो एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो लिंग के बावजूद सभी के लिए समानता, न्याय और गरिमा के सिद्धांतों को बनाए रखता है।[xxviii]

अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, न्याय और निष्पक्षता के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता के एक मौलिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करती है।[xxix] इस सिद्धांत के केंद्र में अनुच्छेद 14 है, जो स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह मूलभूत अधिकार सभी व्यक्तियों को, उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, निष्पक्षता और गैर-भेदभाव के मूल लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर देता है।[xxx]

अनुच्छेद 15

अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान सहित विभिन्न आधारों पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके समानता के कारण को आगे बढ़ाता है।[xxxi] विशेष रूप से लिंग संवेदीकरण के लिए प्रासंगिक, अनुच्छेद 15 लिंग-आधारित भेदभाव के किसी भी रूप के खिलाफ एक दुर्जेय बाधा के रूप में कार्य करता है। यह लिंग के आधार पर व्यक्तियों के खिलाफ पूर्वाग्रहों को खत्म करने की संवैधानिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ कानून के समक्ष समानता के साथ व्यवहार किया जाए। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, ये संवैधानिक प्रावधान अंतर्निहित लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देने और समाप्त करने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रियाएं और संरक्षण सभी लिंगों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से सुलभ हैं, एक कानूनी वातावरण को बढ़ावा देते हैं जो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अनुच्छेद 15, बदले में, महिलाओं के लिए विशिष्ट सुरक्षा की आवश्यकता वाले ऐतिहासिक और सामाजिक असंतुलन को स्वीकार करते हुए, लिंग-आधारित भेदभाव के खिलाफ प्रत्यक्ष निवारक के रूप में कार्य करता है। ये प्रावधान न केवल लैंगिक संवेदनशीलता के लिए आधार तैयार करते हैं, बल्कि व्यक्तियों को भेदभावपूर्ण प्रथाओं और नीतियों को चुनौती देने के लिए भी सशक्त बनाते हैं। कानून के समक्ष समानता का अधिकार लैंगिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से वकालत और कानूनी सुधारों के लिए एक रैली बिंदु बन जाता है। इसके अलावा, यह एक कानूनी ढांचा बनाता है जो सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव को प्रोत्साहित करता है, समावेशिता को बढ़ावा देता है और प्रत्येक व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानता है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। संक्षेप में, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 सामूहिक रूप से लैंगिक संवेदीकरण की चल रही प्रक्रिया में योगदान करते हैं, जो भारत को अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की ओर ले जाता है।[xxxii]

महिलाओं के अधिकार, जो भारत के संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऐतिहासिक और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से विशिष्ट प्रावधानों के माध्यम से स्पष्ट मान्यता और संरक्षण प्राप्त करते हैं। दो

प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 (3) और अनुच्छेद 16, महिला सशक्तिकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे लिंग संवेदीकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

अनुच्छेद 15(3)

अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान महिलाओं के उत्थान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों और कमजोरियों को स्वीकार करता है। आरक्षण या विशिष्ट कार्यक्रमों जैसे लक्षित हस्तक्षेपों की अनुमति देकर, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है। यह सकारात्मक भेदभाव के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच प्राप्त हो, असमानताओं को दूर करना और लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है।[xxxiii]

अनुच्छेद 16

सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता पर केंद्रित है। हालांकि स्पष्ट रूप से लिंग-विशिष्ट नहीं है, यह महिलाओं के अधिकारों का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह सार्वजनिक रोजगार में लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। समान अवसर सुनिश्चित करके, अनुच्छेद 16 उन बाधाओं को दूर करने में योगदान देता है जिनका सामना महिलाओं को पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले करियर और पदों को प्राप्त करने में करना पड़ सकता है। यह प्रावधान अधिक समावेशी कार्यबल को प्रोत्साहित करता है और व्यापक समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हुए पेशेवर क्षेत्र में लैंगिक भूमिकाओं के संबंध में सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता है। साथ में, ये लेख लिंग-संवेदनशील नीतियों और पहलों के लिए एक कानूनी आधार बनाते हैं। अनुच्छेद 15 (3) महिलाओं के उत्थान के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता को मान्यता देता है, और अनुच्छेद 16 यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। ये प्रावधान न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, बल्कि लिंग भूमिकाओं के प्रति सामाजिक धारणाओं और दृष्टिकोण को बदलने के लिए भी काम करते हैं। ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करके और समान पहुंच को बढ़ावा देकर, अनुच्छेद 15 (3) और 16 लिंग संवेदीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज के लिए आधार तैयार करते हैं जहां महिलाएं सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से और समान रूप से भाग ले सकती हैं।[xxxiv]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है, लैंगिक संवेदनशीलता का समर्थन करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने में एक आधारशिला के रूप में कार्य करता है जो सभी व्यक्तियों की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। अनुच्छेद 21 का व्यापक दायरा केवल भौतिक अस्तित्व से परे है, जिसमें गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, यह प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और लिंग आधारित अन्यायों को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 21, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की गारंटी देकर, स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों को लिंग-आधारित हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाता है, यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान से मुक्त रह सकती हैं। इस लेख

द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में अपने शरीर और व्यक्तिगत जीवन के बारे में चुनाव करने का अधिकार शामिल है, जो महिलाओं की स्वायत्तता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव में योगदान देता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण पर जोर देकर समानता के सिद्धांत को मजबूत करता है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, इसका तात्पर्य उन पारंपरिक मानदंडों और प्रथाओं को चुनौती देना है जो महिलाओं की स्वतंत्रता और विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने जीवन, संबंधों और करियर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती मिलती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 21 प्रजनन अधिकारों और विकल्पों जैसे मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देकर, लेख महिलाओं को उनके प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और समग्र कल्याण के बारे में निर्णय लेने में सहायता करता है, एक अधिक लिंग-संवेदनशील और सशक्त समाज में योगदान देता है। संक्षेप में, अनुच्छेद 21 महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके, स्वायत्तता को बढ़ावा देकर और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देकर लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह न केवल महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाता है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को पहचानने और उनका सम्मान करने के महत्व को भी रेखांकित करता है, जो अंततः एक अधिक न्यायसंगत और प्रबुद्ध समाज में योगदान देता है।[xxxv]

राज्य नीति के निदेशक तत्त्व

भाग IV के तहत भारतीय संविधान में निहित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, सरकार को ऐसी नीतियां तैयार करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। इन सिद्धांतों में, अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) लैंगिक संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में विशेष महत्व रखते हैं।

अनुच्छेद 39 (ए) समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर जोर देता है, जो आर्थिक न्याय हासिल करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह निर्देश लिंग-आधारित मजदूरी असमानताओं को चुनौती देने और समान मूल्य के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं के समान पारिश्रमिक की वकालत करने में सहायक है। समान वेतन के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से समर्थन करके, अनुच्छेद 39 (ए) न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देता है, बल्कि महिलाओं के श्रम के मूल्य के बारे में सामाजिक धारणाओं को बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है।[xxxvi]

अनुच्छेद 39 (घ) राज्य को समान न्याय प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है। लिंग संवेदीकरण के संदर्भ में, यह सिद्धांत निष्पक्ष और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं की वकालत करता है जो महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर विचार करते हैं। यह कानूनी सुधारों का आह्वान करता है जो घरेलू हिंसा, भेदभाव और अन्य लिंग-आधारित अपराधों जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं, एक कानूनी ढांचे को बढ़ावा देते हैं जो लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील है।[xxxvii]

अनुच्छेद 39 (ई) महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। यह निर्देश इन समूहों की भेद्यता को पहचानता है और ऐसी नीतियों का आह्वान करता है जो उनके

अधिकारों का उत्थान और रक्षा करें। महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देकर, अनुच्छेद 39 (ई) एक अधिक दयालु और लिंग-संवेदनशील समाज में योगदान देता है, जो मातृ स्वास्थ्य, लड़कियों के लिए शिक्षा और बाल संरक्षण जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाली पहलों को बढ़ावा देता है।[xxxviii]

संक्षेप में, निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39 (ए) (डी) और (ई) सामूहिक रूप से समान आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देकर, कानूनी प्रणाली के भीतर न्याय की वकालत करके और महिलाओं और बच्चों के कल्याण को प्राथमिकता देकर लैंगिक संवेदनशीलता के लिए एक संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। ये सिद्धांत न केवल नीति निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं, बल्कि भारत में अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और लिंग-संवेदनशील समाज बनाने के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

भारत में लैंगिक संवेदीकरण पर संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव गहरा है, जिसका प्रभाव कानूनी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। लैंगिक समानता के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता ने महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तनकारी बदलाव का मार्ग प्रशस्त किया है, जो एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी राष्ट्र में योगदान देता है।

कानूनी सुधारः लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण निर्णयः संवैधानिक प्रावधानों ने ऐतिहासिक निर्णयों के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है जिन्होंने लैंगिक समानता के पक्ष में कानूनी परिदृश्य को नया रूप दिया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, जिसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संबोधित किया, और नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, जिसने सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, जैसे मामले लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने वाले तरीकों से संविधान की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये निर्णय न केवल विधायी अंतराल को भरते हैं, बल्कि भविष्य के मामलों के लिए मिसाल भी स्थापित करते हैं, जो एक अधिक समावेशी समाज के लिए संवैधानिक जनादेश को मजबूत करते हैं।[xxxix]

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने वाले कानूनों का कार्यान्वयनः संवैधानिक प्रावधानों ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लक्षित करने वाले कानूनों के अधिनियमन और कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में संशोधन लिंग आधारित हिंसा को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए एक विधायी प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। संवैधानिक सिद्धांतों में निहित इन कानूनी सुधारों ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, दंडित करने और निवारण के लिए ढांचे को मजबूत किया है, जो महिलाओं के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है।[xl]

सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावः लैंगिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण का विकासः संवैधानिक प्रावधानों ने लैंगिक भूमिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान में समान अधिकारों और अवसरों की स्वीकृति पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है और अधिक समावेशी मानसिकता को बढ़ावा देती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी पहल, जिसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, लैंगिक रूढ़ियों को पहचानने और समाप्त करने की दिशा में एक सामाजिक बदलाव का उदाहरण है। नतीजतन, पारंपरिक सीमाओं से परे महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में एक

विकसित धारणा है, जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जहां व्यक्ति लिंग की परवाह किए बिना विविध मार्गों को अपना सकते हैं।

महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना:

महिलाओं के लिए विशिष्ट अधिकारों सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधानों ने देश भर में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया है। शैक्षिक अभियानों, जमीनी स्तर की सक्रियता और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी के प्रसार ने महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में खुद को मजबूत करने के लिए सशक्त किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और महिलाओं के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली पहल जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक जीवन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के प्रयासों का उदाहरण हैं। "समानता की संवैधानिक गारंटी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में ज्ञान के साथ सशक्त बनाने के लिए एक उत्प्रेरक बन गई है, एक ऐसी पीढ़ी को बढ़ावा दे रही है जो लैंगिक समानता के प्रति तेजी से जागरूक और आगे बढ़ने में लगी हुई है।"[xli]

अंत में, भारत में लैंगिक संवेदीकरण पर संवैधानिक प्रावधानों का प्रभाव कानूनी ढांचे से कहीं अधिक है। इसने सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों को शामिल करते हुए एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जबकि कानूनी सुधारों ने लैंगिक न्याय के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान किया है, सामाजिक परिवर्तन लैंगिक भूमिकाओं और अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण और चेतना में व्यापक विकास को दर्शाते हैं। समानता और न्याय के लिए संवैधानिक प्रतिबद्धता एक अधिक समावेशी और लिंग-संवेदनशील भारत के लिए एक प्रेरक शक्ति बनी हुई है।

जबकि भारत में संवैधानिक प्रावधान लैंगिक संवेदनशीलता और समानता के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं, इन आदर्शों के कार्यान्वयन में पर्याप्त चुनौतियां और अंतराल मौजूद हैं। चिंता के दो प्राथमिक क्षेत्र मौजूदा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन और सांस्कृतिक बाधाओं की दृढ़ता हैं जो गहराई से निहित लिंग रूढ़िवादिता और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने के प्रतिरोध में निहित हैं।

कार्यान्वयन की चुनौतियां: मौजूदा कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन:

प्रगतिशील कानूनी सुधारों के बावजूद, लिंग-आधारित मुद्दों को संबोधित करने वाले कानूनों का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या लिंग-आधारित भेदभाव के मामलों में, कानूनी ढांचे और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच अक्सर अंतर होता है। इसके लिए मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूकता की कमी, कानून प्रवर्तन कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण और कभी-कभी, रिपोर्ट करने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए सामाजिक अनिच्छा जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

संवैधानिक आदर्शों को व्यावहारिक वास्तविकताओं में बदलने में चुनौतियां:

संवैधानिक आदर्शों को व्यक्तियों के जीवन में मूर्त सुधार में बदलने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि संविधान समान अधिकारों की गारंटी देता है, जमीनी हकीकत असमानताओं से चिह्नित है। आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विषमताएँ बनी हुई हैं, जो संवैधानिक वादों की व्यावहारिक प्राप्ति में बाधा डालती हैं। कार्यान्वयन की चुनौतियों में अपर्याप्त संसाधन आवंटन, नौकरशाही अक्षमताएं और लैंगिक मुद्दों की बहुआयामी प्रकृति को संबोधित करने के लिए समग्र रणनीतियों की कमी शामिल है।

सांस्कृतिक बाधाएं:

गहराई से निहित लिंग रूढ़िवादिता की दृढ़ता:

भारतीय समाज में गहराई से निहित सांस्कृतिक मानदंड और रूढ़िवादी धारणाएं लैंगिक संवेदनशीलता के लिए दुर्जेय चुनौतियां पेश करती हैं। पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और क्षमताओं के बारे में पारंपरिक मान्यताएं भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कायम रखती हैं। सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित मर्दानगी और स्त्रीत्व की धारणा अक्सर व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं से मुक्त होने से रोकती है। इन गहराई से अंतर्निहित रूढ़ियों पर काबू पाने के लिए सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती देने और फिर से परिभाषित करने के लिए व्यापक शैक्षिक पहल, मीडिया अभियान और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है।

पारंपरिक लिंग भूमिकाओं में परिवर्तन का प्रतिरोधः पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने का प्रतिरोध लिंग संवेदीकरण प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। कई भारतीय समुदायों की पितृसत्तात्मक संरचना सत्ता की गतिशीलता में बदलाव और पारंपरिक मानदंडों की चुनौतियों का विरोध करती है। यह प्रतिरोध विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, जिसमें कुछ व्यवसायों में महिलाओं के प्रवेश का विरोध, महिलाओं की नेतृत्व क्षमताओं के बारे में संदेह और पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के अनुरूप सामाजिक दबाव शामिल हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए न केवल कानूनी सुधारों की आवश्यकता है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों और समावेशी संवादों के माध्यम से मानसिकता को बदलने के लिए ठोस प्रयासों की भी आवश्यकता है।

चुनौतियों से पार पाना:

कार्यान्वयन को मजबूत बनाना:

कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जनता को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करने के लिए मजबूत प्रवर्तन तंत्र, कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता अभियानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, लिंग आधारित अपराधों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों का निर्माण और समय पर और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना संवैधानिक आदर्शों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए आवश्यक कदम हैं।

सांस्कृतिक संवेदनशीलता कार्यक्रम:

सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़ने के प्रयासों के लिए लक्षित सांस्कृतिक संवेदीकरण कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। इन कार्यक्रमों को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, स्कूलों से शुरू करके, रूढ़ियों को चुनौती देने और लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए। लोकप्रिय संस्कृति और विज्ञापनों सहित मीडिया, सामाजिक धारणाओं को फिर से आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सांस्कृतिक बदलाव लाने और विविध लिंग भूमिकाओं की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों के साथ जुड़ना भी महत्वपूर्ण है।

अंत में, भारत में लैंगिक संवेदीकरण की चुनौतियों और कमियों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संवेदीकरण कार्यक्रमों के साथ मौजूदा कानूनों और पहलों के कार्यान्वयन को मजबूत करना, गहराई से निहित बाधाओं को दूर करने और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने में योगदान कर सकता है जो लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों को सही मायने में दर्शाता है।

सिफारिशें

लिंग संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए कानूनी प्रवर्तन और बेहतर तंत्र को मजबूत करनाः

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लिंग संबंधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, कानूनी प्रवर्तन तंत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इसमें लिंग आधारित हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव के मामलों को संभालने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर विशेष इकाइयाँ बनाना शामिल है। इन इकाइयों को संवेदनशील मुद्दों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, जिससे पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, लिंग संबंधी अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए समर्पित हेल्पलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करने से रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे यह उन व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ हो सकता है जो पारंपरिक चैनलों के माध्यम से सहायता लेने में संकोच कर सकते हैं।

उल्लंघन के लिए सख्त दंडः संभावित अपराधियों को रोकने के लिए, लिंग संबंधी कानूनों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड की आवश्यकता है। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और भेदभाव जैसे अपराधों के लिए दंड को फिर से देखना और संभावित रूप से बढ़ाना शामिल है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणाली को त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। सफल अभियोजन और अपराधियों पर लगाए गए दंड का प्रचार एक निवारक के रूप में काम कर सकता है और एक स्पष्ट संदेश भेज सकता है कि लिंग-आधारित अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शिक्षा और जागरूकताः

शैक्षिक पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता का एकीकरणः

दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, सभी स्तरों पर शैक्षिक पाठ्यक्रम में लैंगिक संवेदनशीलता को एकीकृत करना अनिवार्य है। इसमें ऐसे मॉड्यूल को शामिल करना शामिल है जो रूढ़ियों को चुनौती देते हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को उजागर करते हैं। व्यापक यौन शिक्षा कार्यक्रमों को सहमति, स्वस्थ संबंधों और विविध लिंग पहचानों का सम्मान करने के महत्व जैसे मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। कम उम्र से ही इन मूल्यों को स्थापित करके, आने वाली पीढ़ियां लैंगिक गतिशीलता की अधिक समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण समझ विकसित कर सकती हैं।[xlii]

जन जागरूकता अभियान लैंगिक समानता को बढ़ावा देनाः जन जागरूकता अभियान सामाजिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन अभियानों को मिथकों को दूर करने, रूढ़ियों को चुनौती देने और लिंग पहचान की विविध अभिव्यक्तियों का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए, ये अभियान व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। प्रभावशाली लोगों, मशहूर हस्तियों और सामुदायिक नेताओं के साथ सहयोग इन संदेशों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। अभियानों को लैंगिक समानता के सकारात्मक पहलुओं पर जोर देना चाहिए, पारंपरिक मानदंडों को तोड़ने और समाज में योगदान देने वाले व्यक्तियों की सफल कहानियों को प्रदर्शित करना चाहिए।[xliii]

गैर-भेदभावपूर्ण ढांचे के अनुरूप अनुशंसाएँः

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता एक गैर-भेदभावपूर्ण और समावेशी ढांचे के भीतर सिफारिशें तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। इस बात पर जोर देते हुए कि इसका उद्देश्य किसी भी समूह के साथ भेदभाव करना नहीं है,

बल्कि सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है, इन सिफारिशों को इस तरह से संप्रेषित किया जाना चाहिए जो विविध समुदायों के साथ प्रतिध्वनित हो।[xliv]

इसके अलावा, शैक्षिक सामग्री और जागरूकता अभियानों में सांस्कृतिक बारीकियों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होता है कि संदेश संबंधित और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील हो। विभिन्न समुदायों में प्रभाव रखने वाले सामुदायिक नेताओं, धार्मिक संस्थानों और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिफारिशों को भारतीय समाज के ताने-बाने में अपनाया और एकीकृत किया जाए।

शिक्षा और जागरूकता पहलों के साथ कानूनी सुधारों को जोड़कर, भारत एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है जो लैंगिक समानता को महत्व देता है और बनाए रखता है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां प्रत्येक व्यक्ति सशक्त, सम्मानित और भेदभाव से मुक्त हो।

निष्कर्ष

भारत में, संवैधानिक प्रावधानों ने लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने, कानूनी सुधारों को बढ़ावा देने और सामाजिक परिवर्तनों की शुरुआत करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। महत्वपूर्ण निर्णयों और कानूनी अधिनियमों ने लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने का प्रदर्शन किया है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ने और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं से धीरे-धीरे दूर जाने के साथ सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक विकास हुआ है। हालांकि, व्यापक लिंग संवेदीकरण की दिशा में यात्रा जारी है। मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं, जो उल्लंघन के लिए बेहतर प्रवर्तन तंत्र और सख्त दंड की आवश्यकता को दर्शाती हैं। सांस्कृतिक बाधाएं, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को बदलने के लिए गहरी रूढ़िवादी और प्रतिरोध द्वारा चिह्नित हैं, लक्षित शिक्षा और जागरूकता अभियानों का आह्वान करती हैं। की गई सकारात्मक प्रगति पर जोर देते हुए, सामाजिक अपेक्षाओं को विकसित करने के लिए संवैधानिक सुधारों की वर्तमान आवश्यकता को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज के लिए संवैधानिक आदर्शों और व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, कानूनी सुधारों, शिक्षा और जागरूकता पहलों को शामिल करते हुए, भारत एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकता है जहां लैंगिक संवेदनशीलता केवल एक संवैधानिक जनादेश नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है, जो सभी के लिए समानता, गरिमा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है।

संदर्भ सूची

---

[i] गांधी. मो.क. (2019). *मेरे सपनों का भारत.* नई दिल्ली: राजपाल एंड संस. पृष्ठ -139

[ii] उपर्युक्त, गांधी. मो.क. (2019). पृष्ठ -139

[iii] यंग इंडिया, 04-02-1926, सम्पूर्ण गांधी वांड्मय, भाग-29 , पृष्ठ 429-30

[iv] प्रसाद, धनेश्वर .(2018). शराबबंदी एक फौलादी फैसला. दिल्ली: प्रभात प्रकाशन, पृष्ठ 62

[v] चंद्रसेन. (1940). हिंदुस्तान लूट गया: कब और कैसे. दिल्ली : प्रकाशक मंडल, पृष्ठ 86

[vi] चंद्रसेन. (1990). मद्यनिषेध: नशे का व्यसन. दिल्ली: शारदा प्रकाशन, पृष्ठ 9

[vii] उपर्युक्त, चंद्रसेन. (1990). पृष्ठ 9

[viii] उपर्युक्त , चंद्रसेन. (1990).पृष्ठ 10

[ix]https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/466

[x]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

[xi] डोनाल्ड, ए. मायकेला, एस. लिशा, ए. फुलविया, पी & अल्बर्ट, बी. (2007). पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस मेडिसिन. वॉल्यूम. 4, पृष्ठ 36

[xii]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

[xiii] एरिक जे. & रोबर्ट सी. (1998). जेनेटिक्स ऑफ अल्कोहलिज्म. एनुअल रिव्यू ऑफ जेनेटिक्स. वॉल्यूम.23, पृष्ठ, 19-36

[xiv] उपर्युक्त, प्रसाद, धनेश्वर. (2018). पृष्ठ -32

[xv] श्रीवास, डी. (2008). युवाओं में मादक द्रव्य सेवन की प्रकृति एवं प्रभाव का अध्ययन. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, पृष्ठ 78

[xvi] मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

[xvii] https://state.bihar.gov.in/cache/12/Old-Budgets/Bud2017-18/Budget-Speech.pdf, Accesed on 09-03-2023

[xviii] मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार. https://state.bihar.gov.in/excise/CitizenHome.html, Accesed on 07-04-2023

[xix] मुखर्जी, एम. (2018)। भारत में लैंगिक न्याय: एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। जर्नल ऑफ़ इंडियन लॉ एंड सोसाइटी, 9(1), प्रष्ठ 21-37.

xxकार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013। 2013 की संख्या 14, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2013-14.pdf से लिया गया।
xxi सरकार, टी. (2020)। भारत में नारीवाद और संवैधानिक कानून। इंडियन जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, 4(1), प्रष्ठ 143-160।
xxii भारत का संविधान. (1950)। http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf से लिया गया
xxiii लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.5
xxiv तथैव, प्रष्ठ 7.6
xxv तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxvi तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxvii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxviii ईव सी. लैंडौ, यवेस बेगबेडर, 2008 "आईएलओ से यूरोपीय संघ के कानून के मानक", ब्रिल
xxix eprints.uni-mysore.ac.in लिया गया 12-01-2024
xxx लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.5
xxxi www.lawyerservices.in लिया गया 12-01-2024
xxxii लक्ष्मीकान्त एम० (2016), "इडियन पोलिटी " चतुर्थ संस्करण, मैकग्रा हिल एजुकेशन, प्रष्ठ 7.6
xxxiii तथैव, प्रष्ठ 7.6
xxxiv तथैव, प्रष्ठ 7.7
xxxv तथैव, प्रष्ठ 7.12
xxxvi तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxvii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxviii तथैव, प्रष्ठ 8.2
xxxix शर्मा, उ. (2017)। संवैधानिक अधिकार और लैंगिक न्याय: एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च एंड गवर्नेंस, 4(3), प्रष्ठ 60-71।
xl तथैव, प्रष्ठ 62
xli गौतम, आर. (2019)। भारत में लिंग संवेदीकरण और कानून। सामाजिक विज्ञान स्पेक्ट्रम, 5(1), 24-29.
xlii भट्टाचार्जी, पी. (2015)। भारतीय शिक्षा प्रणाली में लिंग संवेदीकरण: चुनौतियाँ और संभावनाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 4(5), प्रष्ठ 39.05-39.11।
xliii तथैव, प्रष्ठ 39.10
xliv सेन, ए. (2001). दा आर्गुमेंटेटीव इंडियन: राइटिंग ओन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आइडेंटिटी, फर्रार, स्ट्रॉस और गिरौक्स। पृष्ठ 26